

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 56 / प्रा.पत्र / 2020
(GCMS No. 2020 / 00082)

तारीख दायरा
21.09.2020

राजस्थान सरकार जसिये क्षेत्रीय वन अधिकारी,
रेंज डबी (वन मण्डल बून्दी)

- प्रार्थी

बनाम

1. आवंटन परामर्शदात्री समिति, मुकाम लाम्बाखोह जरिये राजस्थान सरकार उपखण्ड अधिकारी, बून्दी
2. राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार, तालेडा 3. भुवाना आ. रतना जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा (मृतक जयें कायम मुकामान)
- 3 / 1. भूलीबाई पत्नी स्व. भुवाना भील निवासी गणेशपुरा, तह. तालेडा
- 3 / 2. हेमराज पुत्र स्व. भुवाना भील निवासी गणेशपुरा, तह. तालेडा
- 3 / 3. फूलचन्द पुत्र स्व. भुवाना भील निवासी गणेशपुरा, तह. तालेडा
- 3 / 4. तेजपाल पुत्र स्व. भुवाना भील निवासी गणेशपुरा, तह. तालेडा
- 3 / 5. धापू पुत्री स्व. भुवाना भील निवासी गणेशपुरा, तह. तालेडा

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से श्री कपूरचन्द जैन, एडवोकेट।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से परोकार सरकार।

अप्रार्थी सं. 3 / 1 लगायत 3 / 5 की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एड.

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी भुवाना आ. रतना कौम भील निवासी गणेशपुरा को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 233 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा वाकेग्राम बडफू दिनांक 29.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बून्दी



प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 56/2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2020/00082 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। जिला अभिलेखागार से मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी सं. 3 मृतक भुवानी के वारिसान को प्रार्थना पत्र में कायम मुकाम बनाया गया। वकील अप्रार्थी सं. 3/1 लगायत 3/5 द्वारा दौराने बहस फर्द दर्स्तावेजात पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा सं. 263 नया खसरा सं. 233 रकबा 70 बीघा 09 बिस्वा वाकेंग्राम बडफू पटवार मण्डल गणेशपुरा तहसील बून्दी हाल तहसील तालेडा में विस्थित है। राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 05.08.1967 से उक्त भूमि ग्राम बडफू वनखण्ड ढसालिया (ए) आरक्षित वनखण्ड में घोषित है। अप्रार्थी सं.1 द्वारा उक्त भूमि राजस्व विभाग की सिवायचक भूमि नहीं होने से उसे आवंटन का अधिकार नहीं होते हुये भी तथ्य छिपाते हुये अप्रार्थी सं. 3 भुवानी आ. रतना भील को उक्त खसरा सं. 233 किस्स गे0मु0पहाड में से 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि दिनांक 29.11.1975 को आवंटन कर दी गई, जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत अवैध (Void) होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 06.01.1976 से उक्त भूमि पर आवंटी भुवानी को गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड कर दिया गया, जो गैर कानूनी एवं विधिविरुद्ध है। उक्त आवंटित भूमि खसरा सं. 233/2 शुद्धिकरण संख्या 59 से खसरा सं. 479/233 क्षेत्रफल 12 बीघा 12 बिस्वा जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 में अंकित करवा लिया है जो विधिसंगत नहीं होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा स्वामित्व नहीं होने पर भी नामान्तरकरण एवं जमाबंदी के आधार पर उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य एवं खनन कार्य किया जाना वैधानिक रूप से कानून सम्मत नहीं है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर लीजदार गोपाललाल आ. भोवू धाकड निवासी लाम्बाखोह के द्वारा खनन की स्वीकृति हेतु पूर्व में जारी अनपत्ति प्रमाण पत्र को आवेदित क्षेत्र के चारो ओर वनखण्ड ढसालिया (ए) की घोषित वन भूमि होने के कारण वन विभाग द्वारा दिनांक 04.03.2006 को निरस्त किया जा चुका है। इस कारण उक्त वन भूमि पर लीजदार द्वारा 25 मीटर सेप्टिक जोन छोडकर आवेदित खनन कार्य को अवैध होने से रोका जाकर वन क्षेत्र की भूमि सुरक्षित कराया जाना न्यायसंगत है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटिती का उक्त आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।



परोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा सं. 479/233 रकबा 2.0396 हेक्टेयर वाकेग्राम बडफू वर्तमान राजस्व रेकार्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज है, ऐसे में उक्त भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज करवाये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा पेश की गई आवंटन नियम 14(4) की कार्यवाही औचित्यहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। परोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3/1 लगायत 3/5 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थी द्वारा आवंटन के 45 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने के बाद काफी विलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो प्रथमतः मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2005 के अनुसार लीजधारक गोपाललाल आ. भोलूराम धाकड निवासी लाम्बाखोह के हक में खनन पट्टा एम.एल.नं. 24/2002 का सीमाकित क्षेत्र खसरा नं. 233/1, 233/2 एवं 232 मिन-ग्राम बडफू में आता है। उक्त भूमि पर खनन कार्य किये जाने के संबंध में वन विभाग द्वारा दिनांक 16.11.2005 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। फलस्वरूप अधीक्षण खनि अभियंता द्वारा खनन लीज हेतु स्वीकृति आदेश दिनांक 03.01.2006 को जारी किया गया। किन्तु जिला वन मण्डल अधिकारी बून्दी द्वारा पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.11.2005 को निरस्त करने का आदेश दिनांक 04.03.2006 को जारी किये जाने के कारण खनिज विभाग द्वारा अपने स्वीकृति आदेश को आदेश दिनांक 07.03.2006 से निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध लीजधारक द्वारा दायर की गई सिविल रिट पीटीशन सं. 4143/2008 मा. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2008 स्वीकार की जाकर खनिज विभाग का स्वीकृति आदेश दिनांक 27.11.2008 से एवं वन विभाग की एनओसी दिनांक 01.03.2008 से पुनः बहाल किया गया। तत्पश्चात उक्त आराजी के संबंध में खनन कार्य किये जाने हेतु जिला कलक्टर बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 14.07.2009 से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा उक्त खनन पट्टा अवधि दिनांक 17.07.2009 से 16.07.2059 तक 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत एवं पंजीकृत है। दिनांक 14.08.2018 को जिला वन मण्डल अधिकारी बून्दी एवं प्रार्थी द्वारा उक्त लीज के खनन कार्य को बन्द करने की धमकी दी गई। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तालेडा द्वारा आदेश दिनांक 25.09.2018 से प्रार्थी को खनन कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है। इस प्रकार उक्त खनन लीज बाबत स्थान आदेश के प्रभावी होने के बावजूद प्रार्थी द्वारा खनन कार्य को बाधित करने के लिए यह प्रार्थना पत्र यहां पेश किया गया, जो विधिविरुद्ध



af
जिला मजिस्ट्रेट, बुंदी

होने से खारिज किया जावे। प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योंकि वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 479/233 क्षेत्रफल 2.0396 हैक्टयर वाकेग्राम बड़फू वर्तमान में प्रार्थी के खाते में दर्ज नहीं होकर राजकीय सिवायचक दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन आदेश वर्तमान में प्रभावी नहीं होने से आवंटन को खारिज किये जाने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं पंजीकृत खनन क्षेत्र में अनावश्यक हरतक्षेप करने के लिए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो राजस्व रिकार्ड के विपरीत एवं आवंटन नियम 14(4) के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण में प्राप्त भूमि आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि आवंटी भुवना आ. रतना जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा को मिसल नं. 1557 पर दिनांक 29.11.1975 को भूमि खसरा संख्या 233 में से रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा वाकेग्राम बड़फू का आवंटन किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2061-2064 के अनुसार भुवना वल्द रतना कौम भील सा. गणेशपुरा खसरा संख्या 479/233 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड था। उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। जिसके संबंध में वकील प्रार्थी का कथन है कि आवंटित भूमि वन विभाग की भूमि होने से अप्रार्थी भुवना को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जावे। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में राजस्थान राजपत्र दिनांक 11.04.1968 की छायाप्रति पेश की गई है। जिसके अनुसार घोषित वन खण्ड दसालिया (ए) विस्तार बरूधन में ग्राम बड़फू के खसरा संख्या 262 एवं खसरा संख्या 263 सम्मिलित है। जबकि वकील अप्रार्थी का तर्क रहा कि वन विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.11.2005 से एम.एल.नं. 24/02 में आवेदित क्षेत्र की आराजी वन सीमा में नहीं आना अंकित करते हुये वन क्षेत्र से 25 मीटर की दूरी छोड़कर खनन कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था. इस प्रकार वन विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी को वन भूमि नहीं माना है। वही परोकार सरकार का कथन रहा कि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी की भूमि नहीं होकर राजकीय सिवायचक भूमि है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आराजी खसरा संख्या 479/233 पर आवंटी भुवना भील को प्राप्त गैर खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2076-2078 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रार्थी भुवना को



आवंटित भूमि हाल खसरा सं. 479/233 रकबा 2.0396 हैक्टैयर वाकोग्राम बडफू राजकीय सिवायचक भूमि है जो वर्तमान में खाता संख्या 1 में दर्ज रेकार्ड है। इससे यह भलीभांति प्रकट है कि उक्त आराजी वर्तमान में आवंटी भुवाना के स्वामित्व में नहीं होकर राजकीय सिवायचक दर्ज रेकार्ड होने से सरकारी भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त राजकीय सिवायचक भूमि के संबंध में राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही अमल में लायी जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 479/233 रकबा 2.0396 हैक्टैयर वाकोग्राम बडफू राजकीय सिवायचक दर्ज रेकार्ड भूमि बाबत राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। जहां तक घोषित वन खण्ड दसालिया (ए) विस्तार बरूंधन में सम्मिलित वन भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद का प्रश्न है तो इस संबंध में वन विभाग सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ़तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय मोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी

